भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2480

दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा

2480. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उन प्रभावित परिवारों को न्यायोचित और उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए कोई नई पहल करने का विचार है, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई अथवा अधिगृहीत की जानी है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 में और संशोधन करने पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग) जी नहीं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का कार्यान्वयन उक्त अधिनियम की धारा 3 (ङ) के तहत यथा परिभाषित 'समुचित सरकार' द्वारा किया जाता है और यह राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है।

आरएफ़सीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 उन लोगों को, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उचित प्रतिकर पैकेज प्रदान करने का उपबंध करता है, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है और उन प्रभावितों के पुनर्वासन का भी उपबंध करता है।

इस 'प्रतिकर की रकम' में 1 से 2 कारक द्वारा गुणित भूमि का बाजार मूल्य (समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित) और भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य शामिल है। अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए, शत प्रतिशत 'प्रतिकर की रकम' के समतुल्य "तोषण" की रकम का अतिरिक्त रूप से उपबंध किया गया है (अधिनियम की धारा 26 से 30)।

उपरोक्त के अलावा, आरएफ़सीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में किसी कुटुंब को कई बार विस्थापित किए जाने की दशा में, प्रभावित कुटुंब के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का उपबंध किया गया है(धारा 39)। उक्त अधिनियम प्रभावित कुटुंबों के लिए अधिक लाभप्रद किसी विधि को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधान-मंडलों को भी शक्ति प्रदान करता है (धारा 107)।

*****